ई–मेल अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17( )खा.वि./न्याय/2015/III/02416 **जयपुर हस्ताक्षरिक दिनांक**

परिपत्र

मृतक उचित मूल्य दुकानदारो (डीलर) की मृत्यु होने पर उनके आश्रितो को अनुकम्पात्मक रूप से उचित मूल्य दुकान आवंटित करने हेतु परिपत्र दिनांक 05.04.2021 उपं 29.03.2022 के द्वारा आश्रितों के रूप में बिन्दु संख्या (i) से (Vii) वरीयतानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रावधान लागू किये गये है। लम्बित प्रकरणों के निस्तारण करने हेतु परिपत्र में अंकित शर्तो में निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती हैं:–

1. विभागीय परिपत्र दिनांक 05.04.2021 उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु निर्धारित आयु 60 वर्ष से अधिक उम्र में हुई है ऐसे समस्त प्रकरणों में उनके वारिसों के अनुकम्पा नियुक्ति में एक बारीय छूट प्रदान की जाती हैं।
2. विभागीय परिपत्र दिनांक 05.04.2021 उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने पर आश्रितों द्वारा निर्धारित अवधि 90 दिवस के बाद आवेदन किया है उन समस्त प्रकरणों में निर्धारित अवधि 90 दिवस में एक बारीय छूट प्रदान की जाती हैं।
3. ऐसे आवेदक जिनकी उम्र आवेदन के समय निर्धारित आयु 21 वर्ष होनी चाहिए में एक बारीय छूट प्रदान कर परिपत्र जारी की तिथि तक आवेदक की आयु 18 वर्ष होना आवश्यक हैं।
4. विभागीय परिपत्र दिनांक 05.04.2021 उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन डीलर की विधवा का होने पर ऐसे प्रकरणों में विधवा की शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण के स्थान शैक्षणिक योग्यता 08 वीं उत्तीर्ण निर्धारित कर एक बारीय छूट प्रदान की जाती हैं।
5. विभागीय परिपत्र दिनांक 05.04.2021 उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति अन्य आश्रितों को दी जानी हैं। ऐसे प्रकरणों में अन्य वारिसों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण के स्थन पर 10वी उत्तीर्ण निर्धारित कर एक बारीय छूट प्रदान की जाती हैं।
6. उचित मूल्य दुकानदार के आश्रितों द्वारा कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण–पत्र 08 माह में प्रस्तुत करना होता हैं। ऐसे प्रकरणों में यहां यह छूट प्रदान की जाती है की प्राधिकार पत्र जारी होने के 01 वर्ष के भीतर प्राप्त आवेदक आवश्यक रूप से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंवे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Poonia
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.23 20:26:15 IST
Reason: Approved

उपरोक्तानुसार परिपत्र दिनांक 05.04.2021 एवं 29.03.2022 के अन्तर्गत आश्रितों को वरीयतानुसार एक बारीय छूट प्रदान कर लेख है कि लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करावें। आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(सुनील पूनियाँ)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (द्वितीय), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि प्रदत्त एक बारीय छूट अनुसार लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करावें।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (एसीपी) को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रिका।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Poonia
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.23 20:26:15 IST
Reason: Approved